

26.06.2024

पत्रवाली पेश हुई।  
वाडियागण एवं अधिवक्ता वाडियागण अनुपस्थित।  
रुक-रुक कर तीन कार आवाज लगवाई गई,  
कावजूड इसके कोई उपस्थित नहीं। इससे  
प्रतीत होता है कि वाडियागण एवं अधिवक्ता  
वाडियागण अपने दाने को लेकर गम्भीर नहीं  
हैं अतः दावा अडम लजिरी अडम पैरवी में  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रवाली कुंमल शुमार  
रोडर नम्बर से कम की जाकर दायित्व दफ्तार है।

(ym)  
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्टट्रक) साधार